क्रिस्टोफर राज

बनाम

के. विजयकुमार

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 986–987)

05 जुलाई, 2019

[आर. भानुमति और ए.एस. बोपन्ना, जेजे.]

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881: धारा 138 – धन की कमी – चेक का अनादर – विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्त को बरी कर दिया – उच्च न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा अपील में, अपीलकर्ता–अभियुक्त के लिए कोई अभ्यावेदन नहीं था – वादी को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 138 के तहत अपीलकर्ता–अभियुक्त को बरी करने और दोषी ठहराने के आदेश को रद्द कर दिया – अपील पर, निर्णय: मान्य रूप से, अपीलकर्ता–अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील में उपस्थित नहीं हुए – जब अभियुक्त उच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, तो उच्च न्यायालय को उसे दूसरा नोटिस जारी करना चाहिए था या न्यायमित्र की सहायता लेनी चाहिए थी – उच्च न्यायालय को किसी भी अधिवक्ता को न्यायमित्र नियुक्त किए बिना गुण–दोष के आधार पर मामले का फैसला नहीं करना चाहिए था, खासकर जब अपीलकर्ता को बरी करने का लाभ मिला था – इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्त को कोई अवसर दिए बिना या उसकी ओर से मामले पर बहस करने के लिए न्यायमित्र नियुक्त करके बरी करने के फैसले को पलटने में गलती की – मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया – प्राकृतिक न्याय।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 986–987

क्रिमिनल ए. (एम डी) संख्या 608 वर्ष 2007 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांक 06.07.2018 और 23.06.2018 के निर्णय और आदेश से.

एस नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. पार्थीबन, ए. एस. वैरावन अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण हैं।

प्रतिवादी के अधिवक्ता कर्नल पहलाद सिंह शर्मा, सुशील कुमार शर्मा, जगदेव सिंह गुलिया, कृष्ण कांत शुक्ला, जेड. यू. खान, किसलाया शुक्ला।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया द्वारा–

आर. बानुमति, न्यायमूर्ति.

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता–अभियुक्त ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.07.2018 और 23.06.2018 को क्रिमिनल ए (एमडी) संख्या 608 वर्ष 2007 में पारित आदेशों को चुनौती देने वाली इन अपीलों को प्राथमिकता दी है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्त को बरी करने के फैसले को पलट दिया है और उसे परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया है और छह महीने के साधारण कारावास से गुजरने के लिए 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

3. इन अपीलों को दायर करने के लिए जिम्मेदार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ता–अभियुक्त और प्रतिवादी–वादी मित्र हैं। दिनांक 12–08–2001 को अपीलकर्ता–अभियुक्त ने प्रतिवादी–वादी से 30,000/– रुपये की राशि उधार ली। अपीलकर्ता–अभियुक्त ने कुझिथुरई केनरा बैंक पर दिनांक 04.09.2003 को 30,000/– रुपये का एक आगे की तारीख डाला हुआ (पोस्ट–डेटेड) चेक जारी किया है।

4. प्रतिवादी–वादी ने संग्रह के लिए 16.01.2004 को अपने सहकारी बैंक खाते में चेक प्रस्तुत किया। तथापि, अपर्याप्त निधियों के कारण 19–01–2004 को बैंक से चेक वापस कर दिया गया था। प्रतिवादी–वादी ने अपीलकर्ता–अभियुक्त को दिनांक 12–02–2004 को एक सांविधिक नोटिस भेजा। इसके बाद, प्रतिवादी–वादी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, कुझिथुरई के समक्ष शिकायत दर्ज की।

5. विचारण न्यायलय में पीडब्ल्यू–1 और पीडब्ल्यू–2 को परीक्षित किया गया और प्रदर्श पी–1 से पी–7 को चिह्नित किया गया. अपीलकर्ता–अभियुक्त ने कोई सबूत नहीं दिया है। सबूतों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायलय ने कहा कि राशि वर्ष 2001 में उधार ली गई थी और ऋण उधार लेने के तीन साल बाद चेक संग्रह के लिए प्रस्तुत किया गया था। निचली अदालत ने कहा कि चेक छह महीने के लिए वैध है और राशि के भुगतान और

चेक जारी होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर चेक प्रस्तुत नहीं किया गया था। विचारण न्यायलय ने माना कि अपीलकर्ता–आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं और उन निष्कर्षों पर, विचारण न्यायलय ने अपीलकर्ता–आरोपी को बरी कर दिया।

6. असंतुष्ट होने के कारण, प्रतिवादी–वादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा इस तरह से पसंद की गई अपील में, अपीलकर्ता–अभियुक्त के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रतिवादी–वादी को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि चेक "*अपर्याप्त धन*" के कारण लौटाया गया था, न कि "*समय बाधित चेक के रूप में*". उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि प्रतिवादी–वादी ने वैधानिक आवश्यकताओं को साबित किया है और माना कि विचारण न्यायलयके निष्कर्ष गलत हैं। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायलय के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता–अभियुक्त को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ता–अभियुक्त हमारे सामने है।

7. हमने अपीलकर्ता–अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस नागमुथु को सुना है। अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *के.एस. पांडुरंगा बनाम कर्नाटक राज्य* (2013) 3 एससीसी 721 के फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है और प्रस्तुत किया है कि अपीलकर्ता–अभियुक्त के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय को गुण–दोष के आधार पर अपील पर फैसला नहीं करना चाहिए था और गुण–दोष के आधार पर मामले को उच्च न्यायालय में नए सिरे से विचार करने के लिए भेजने का अनुरोध करना चाहिए था।

8. प्रतिवादी–वादी ने हालांकि सेवा दी है, इस अपील में उपस्थित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति ने प्रतिवादी की ओर से पेश होने और बहस करने के लिए अधिवक्ता कर्नल पहलाद सिंह शर्मा को नामित किया है। हमने प्रतिवादी–वादी की ओर से पेश हुए कर्नल पहलाद सिंह शर्मा को सुना और रिकॉर्ड पर लगाए गए फैसले और अन्य सामग्रियों का अवलोकन किया।

9. सर्वमान्य है कि अपीलकर्ता–अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील में उपस्थित नहीं हुए। जब अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है, तो हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को अपीलकर्ता–अभियुक्त या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को एक अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए दूसरा नोटिस

जारी करना चाहिए था या उच्च न्यायालय न्यायमित्र की सहायता ले सकता था। जब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, तो अभियुक्त का बचाव करने के लिए किसी भी अधिवक्ता को न्याय मित्र नियुक्त किए बिना, उच्च न्यायालय को गुण–दोष के आधार पर आपराधिक अपील पर फैसला नहीं करना चाहिए था; इससे भी अधिक, जब अपीलकर्ता–अभियुक्त को बरी होने का लाभ मिला था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता–अभियुक्त को कोई अवसर दिए बिना या उसकी ओर से मामले पर बहस करने के लिए न्यायमित्र नियुक्त करके बरी करने के फैसले को पलटने में गलती की।

10. परिणामस्वरूप, क्रिमिनल. ए. (एम.डी) संख्या 608 वर्ष 2007 में उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 06.07.2018 और 23.06.2018 को रद्द कर दिया जाता है और इन अपीलों को स्वीकार किया जाता है और आपराधिक अपील (एम.डी) संख्या 608 वर्ष 2007 को बहाल किया जाएगा। इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ को भेज दिया गया है। अपीलकर्ता 26.08.2019 को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष पेश होगा। उच्च न्यायालय प्रतिवादी वादी के विजयकुमार को सुनवाई की तारीख के बारे में सूचित करते हुए नोटिस जारी करेगा।

11. उच्च न्यायालय दोनों पक्षों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा और कानून के अनुसार मामले को नए सिरे से तय करेगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

देविका गुजराल अपील की अनुमति दी गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated and verified by me.



Satyendra Yadav
Advocate
Advocate on Roll : A/S0567/2023
Contact No. : 8896551733